UPLK010087172021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।
सेशन्स केस सं0 1356 / 2021

सरकार **बनाम** वीरेन्द्र कुमार यादव

अ0सं0 20 / 2021
धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)ध,3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

27–01–2023

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष ज्येष्ठ लोक अभियोजक अधिकारी ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)ध, 3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 05.03.2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010087172021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सेशन्स केस सं0 1356/2021

सरकार **बनाम** वीरेन्द्र कुमार यादव

अ0सं0 20/2021
धारा–323,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)ध,3(2)va एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

आरोप

मैं, नरेन्द्र कुमार–III विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः यह कि दिनांक 20–01–2021 को समय 06:00 बजे सुबह थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम भदेसरमऊ में आप ने वादी मुकदमा घनश्याम को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप ने वादी मुकदमा घ ानश्याम को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा घनश्याम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा घनश्याम जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को जाति के नाम से गालियां दी। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधि0 की धारा–3(1)ध के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा घनश्याम के प्रति उपरोक्त आपराधिक कृत्य कारित किया। इस प्रकार आप ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)va के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 27–01–2023

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(नरेन्द्र कुमार–III)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP5950

दिनांकः 27–01–2023

Digitally signed by NARENDRA KUMAR III
Date: 2023.01.27 19:44:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court